

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 130 / 2017

दर्ज दिनांक:-11.11.2017

1. सुम्मी पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. माया पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:
सुरेश चंद

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-13.06.2018

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट रूंधङ्करन पर पेश। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थिया ख.नं. 651/0.17 है0 स्थित ग्राम बझेरा की 1/2 हिस्से को अपने नाम तथा शेष 1/2 हिस्से को अप्रार्थियों के नाम चाहती है। हाल ख.नं. 651 पर अप्रार्थिया वर्तमान में अभिलिखित खातेदार है।

इसी प्रकार हाल ख.नं. 652/0.19 है0 जिसकी अभिलिखित खातेदार प्रार्थिया है। इसमें 1/2 हिस्से को अपने पास रखते हुए शेष 1/2 हि0 को अप्रार्थिया के नाम विनियमन चाहती है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 एवं राज. काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 में कही थी एक सम्पूर्ण खसरा नम्बर को विखण्डित कर परिवर्तन करने का प्रावधान नहीं है।

प्रस्तुत प्रकरण स्पष्टतः मुद्रांक व पंजीयन अपवंचना की है, जो स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः आज्ञा है कि

दावा वादिया खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर तकमील दा.द. हो।

(PUSHKAR KUMAR MITTAL)

सहायक कलेक्टर भरतपुर,भरतपुर

